

पत्रांक: जी.एस.टी./2019-20/

1920047

438 / वाणिज्य कर  
कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1  
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०)  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०)/( कार्पोरेट)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

**विषय:—मुख्यालय के परिपत्र सं० 68/192007/ वाणिज्य कर दिनांक 24 अप्रैल, 2019 से प्रसारित सी०बी०ई०सी० द्वारा जारी परिपत्र सं० 97/16/2019-जी०एस०टी० दिनांक 05.04.2019 के शुद्धिपत्र के संबंध में ।**

वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं० 02/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 07.03.2019 तथा विज्ञप्ति सं० 09/2019 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 29.03.2019 के संबंध में प्रिंसिपल कमिश्नर, (जी०एस०टी०), जी०एस०टी० पालिसी विंग, CBIC द्वारा परिपत्र सं० 97/16/2019-जी०एस०टी० दिनांक 5 अप्रैल, 2019 से कतिपय स्पष्टीकरण जारी किये गये थे ।

2. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा केंद्र की विज्ञप्ति सं० 02/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 07.03.2019 के समतुल्य विज्ञप्ति सं० 810 दिनांक 28.05.2019 तथा विज्ञप्ति सं० 09/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 29.03.2019 के समतुल्य विज्ञप्ति सं० 984 दिनांक 02.07.2019 जारी की गयी है ।
3. सी०जी०एस०टी० अधिनियम के समतुल्य प्राविधान उत्तर प्रदेश एस०जी०एस०टी० अधिनियम में भी है तथा सी०जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत जारी परिपत्र के माध्यम से प्रसारित स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश एस०जी०एस०टी० अधिनियम के संदर्भ में भी समान रूप से लागू होते हैं । उक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रिंसिपल कमिश्नर (जी०एस०टी०) जी०एस०टी० पालिसी विंग, CBIC द्वारा जारी परिपत्र मुख्यालय के परिपत्र सं० 68/192007/वाणिज्य कर, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 से प्रसारित किया गया था ।
4. जी०एस०टी० पालिसी विंग, CBIC द्वारा परिपत्र दिनांक 01.07.2019 से मूल परिपत्र सं० 97/16/2019-जी०एस०टी० दिनांक 5 अप्रैल, 2019 का शुद्धिपत्र जारी किया गया, जो मुख्यालय के परिपत्र सं० 325 दिनांक 02.07.2019 से प्रसारित किया गया ।
5. जी०एस०टी० पालिसी विंग, CBIC द्वारा पुनः परिपत्र सं० CBIC /20/16/4/2018-GST(Pt.1) दिनांक 29 जुलाई, 2019 से उपरोक्तानुसार संशोधित परिपत्र का शुद्धिपत्र जारी किया गया है । जी०एस०टी० पालिसी विंग द्वारा जारी परिपत्र सं० CBIC/20/16/4/2018- GST(Pt.1) दिनांक 29 जुलाई, 2019 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त समग्र तथ्यों से अधीनस्थ अधिकारियों तथा विभिन्न व्यापारिक संगठनों को अवगत कराते हुए तदनुसृत कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(अजीत कुमार शुक्ला)

एडीशनल कमिश्नर (विधि)

वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ

Corrigendum to Circular No. 97/16/2019-GST

CBEC/20/16/4/2018-GST (Pt. I)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Indirect Taxes and Customs  
GST Policy Wing

New Delhi, Dated the 29<sup>th</sup> July, 2019

To,

The Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners/ Principal Commissioners/ Commissioners  
of Central Tax (All)

The Principal Director Generals/ Director Generals (All)

Madam/Sir,

**Subject: Corrigendum to Circular No. 97/16/2019-GST dated 5<sup>th</sup> April, 2019 issued vide F. No. CBEC/20/16/4/2018-GST (Pt. I), as amended vide Corrigendum dated 01.07.2019 - reg.**

In para 2(i) of the Circular No. 97/16/2019-GST dated 5<sup>th</sup> April, 2019, as amended vide Corrigendum dated 01.07.2019,

*for*

“(i) a registered person who wants to opt for payment of central tax @ 3% by availing the benefit of the said notification, may do so by filing intimation in the manner specified in sub-rule 3 of rule 3 of the said rules in **FORM GST CMP-02** by selecting the category of registered person as “Any other supplier eligible for composition levy” as listed at Sl. No. 5(iii) of the said form, **latest by 31<sup>st</sup> July, 2019**. Such person shall also furnish a statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 3 of the said rules.”

*read,*

Corrigendum to Circular No. 97/16/2019-GST

“(i) a registered person who wants to opt for payment of central tax @ 3% by availing the benefit of the said notification, may do so by filing intimation in the manner specified in sub-rule 3 of rule 3 of the said rules in FORM GST CMP-02 by selecting the category of registered person as “Any other supplier eligible for composition levy” as listed at Sl. No. 5(iii) of the said form, latest by 30<sup>th</sup> September, 2019. Such person shall also furnish a statement in FORM GST ITC-03 in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 3 of the said rules.”

2. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this Circular.
3. Difficulty, if any, in implementation of this Circular may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

(Upender Gupta)  
Pr. Commissioner (GST)